

कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाडमेर (राज)  
क्रमांक / सान्याअवि / बाड / निलामी / 2015-16 / 4488 दिनांक-15.03.2016

-: नीलामी सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाडमेर द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों एवं गृहों की अनुपयोगी भण्डार सामग्री यथा-कम्बल, चदर, दरी, खेरा, गद्दे, लोहे के बर्तन, लोहे के बचसे, लकड़ी/लोहे के पलंग, कुर्सियाँ, टेबलें, पंखें अन्य कबाड आदि सामान का विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाना है। अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म निम्नानुसार दिनांक, स्थान व समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। अनुपयोगी सामान का अवलोकन कार्यालय समय पर निम्नानुसार स्थान देख सकते हैं।

क्र. सं.	नाम छात्रावास जहां सामान नीलाम किया जाना है	दिनांक	समय	नीलामी योग्य सामान पुस्तकीय मूल्य
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (अनु.जाति) बाडमेर	27.03.2016	10.00 AM	258731
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (अनु.जाति) गडशा रोड	27.03.2016	02.00 PM	198668
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (अनु.जाति) बालोतरा	28.03.2016	10.00 AM	244247
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (अनु.जाति) पाटोदी	28.03.2016	12.00 PM	106756
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (अनु.जाति) समदही	28.03.2016	03.00 PM	199576
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (अनु.जाति) सिवाना	29.03.2016	11.00 AM	279040
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (अनु.जाति) मोकलसर	29.03.2016	01.00 PM	130453

सामान क्रय करने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म सामान की लागत का 2% (न्यूनतम 500 रु व अधिकतम 5000 रु) अमानत/धरोहर राशि जमा कराकर बोली लगा सकते हैं।

बोली समाप्त होने पर नीलामी की राशि उसी दिन एक मुहूर्त जमा कराकर उसी दिन सामान को उताना होगा। नीलामी गठित समिति का निर्णय अन्तिम होगा एवं सर्वमान्य होगा। बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म को कोई शर्त मान्य नहीं होगी। विक्रय की सामग्री पर नियमानुसार वेट / बिग्री कर अलग से काटा जायेगा।

नीलामी रद्द/स्थगित करने का अधिकार नीलामी कमेटी में निहित होगा। नीलामी की अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। नीलामी की अन्य शर्त नीलामी स्थान पर अवगत करा दी जायेगी।

(संजय सावनी)  
सहायक निदेशक,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
बाडमेर

दिनांक-15.03.2016

क्रमांक / सान्याअवि / बाड / निलामी / 2015-16 / 4489-4505  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आस्थिक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान वित्तीय सलाहकार महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बाडमेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाडमेर।
5. जिला कोषाधिकारी महोदय, बाडमेर।
6. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, बाडमेर।
7. समस्त छात्रावास अधीक्षक, को प्रेषित कर लेख है की इस सूचना को पंचायत समिति/तहसील कार्यालय/नगर पालिका व छात्रावास के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा / कलक्टर परिसर/नगर परिषद..... जिला परिषद बाडमेर।
9. संपादक..... को प्रेषित कर लेख है कि नीलामी सूचना स्थानीय संस्करण में न्यूनतम साइज में छपवाकर डी.आई.पी.आर की दर अनुमोदन प्रति के साथ विल प्रस्तुत करे।
10. मैसर्स.....

✓ श्रीमान ए.सी.जी. महोदय, सान्याअवि, जयपुर को केन्द्र निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे!

(संजय सावनी)  
सहायक निदेशक,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
बाडमेर

राजस्थान सरकार,  
कार्यालय सहायक निदेशक,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाड़मेर (राज)

क्रमांक/सान्याअवि/बाड/निलामी/2015-16/

दिनांक-

--: नकारा/अनुपयोगी सामान नीलामी की शर्तें :-

1. नीलामी में निम्न राजकीय छात्रावासों का सामान निम्नानुसार निमान किया जाना है -

क्र.स.	निलामी का स्थान	पुस्तक मूल्य	छात्रावास का नाम	पुस्तक मूल्य
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास बाड़मेर (अनु. जाति)	258731	बाड़मेर (अनु. जाति)	107589
			बाड़मेर स्वच्छकार	92389
			रूंगा	58753
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास गडरारोड (अनु. जाति)	198668	गडरारोड	298833
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास बालोतरा (अनु. जाति)	244247	बालोतरा अनु.जाति.	69007
			बालोतरा अनु. जनजाति	125456
			पचपदरा	49784
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास पाटोदी (अनु. जाति)	106756	पाटोदी	106756
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास समदडी (अनु. जाति)	199576	समदडी	199576
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सिवाना (अनु. जाति)	279040	सिवाना	279040
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास मोकलसर (अनु. जाति)	130453	मोकलसर	130453

- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को सामान से संबंधित पुस्तकीय मूल्य का 2% धरोहर/अमानत राशि नकद जमा करानी होगी।
- निलामी योग्य सामान पुराने विस्तर सामग्री व धातु के बर्तन व अन्य लोहे/लकड़ी के सामान का अवलोकन निलामी निर्धारित स्थान पर देखा जा सकता है।
- अंतिम बोली वाले व्यक्ति को बोली छोड़ने के तुरन्त बाद उसी दिन नीलामी की पूरी राशि एवं नियमानुसार टैक्स (वैट) सहित राशि रोकड़ शाखा में जमा करानी होगी अन्यथा धरोहर राशि जब करली जायेगी।
- अंतिम बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी कर्मचारी को होगा।
- रकम का भुगतान केवल नकद में स्वीकार किया जायेगा।
- बोली समाप्ति के तुरन्त बाद ही बोलीदाता द्वारा सामान को उठाना होगा और सामान की सुरक्षा के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उचित बोली नहीं आने पर कर्मचारी को सामान को बोली निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- अंतिम बोली की पूरी राशि जमा कराने के बाद ही सामान को उठाने का अधिकार होगा।
- सामान जैसा जिस हालात में है उसी हालात में नीलाम किया जायेगा।
- नीलामी योग्य सामान की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
- बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।

(संजय शर्मा/निर्देशक)

सहायक निदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
बाड़मेर